प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2017

विषय: मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय, कम्प्यूटर सेल के आधुनिकीकरण (काल सेन्टर) हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रू0 1.25 करोड में से रू0 55.00 लाख की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्कों के पत्र संख्या-993/VI/02/01/3127, दिनांक 25 जुलाई, 2017 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है श्री राज्यपाल महोदय मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय कम्प्यूटर सेल के आधुनिकीकरण हेतु जन शिकायातों/प्रार्थना पत्रों के डिजिटाईजेशन, स्कैनिंग एवं अपलोडिंग/लिंकिंग सर्विसेज तथा काल सेन्टर सर्विसेज हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1.25 करोड में से रू0 55/- लाख (रूपये पचपन लाख मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेगें।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को लखनऊ द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय कम्प्यूटर सेल के आधुनिकीकरण हेतु जन शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के डिजिटाइजेशन, स्कैनिंग एवं अपलोडिंग/लिंकिंग सर्विसेज तथा काल सेन्टर सर्विसेज हेतु वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए धनराशि व्यय की जायेगी, यदि स्वीकृत धनराशि में कोई बचत होती है तो उसे शासन को अवगत कराते हुए कोषागार में जमा किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा, प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

(6) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में "लेखा शीर्ष-2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-03-शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(7) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव।

संख्या-21/2017/769(1)/78-1-2017 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4& निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

9- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।

10- उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, प्लान फाइनेंस-1 डिवीजन व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/ औद्योगिक विकास अनु0-2

13- मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-3

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज बहादुर)

उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।